मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2001 (चैत्र 2, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे. 18

(2) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम-जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का -

(क) द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96; तथा 19
(ख) तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, 20

पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के अंतर्गत अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के शाहपुरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अभाव होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले में डाकुओं का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री अहिरवार पर्वतलाल, बाबूलाल गौर, सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ जिले की ग्राम पंचायत लारौन की सरपंच के पति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, कुंवर विजय शाह, सदस्य, खंडवा जिले के भिरपा उप-गौशाला से गायों को ले जाकर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के शिक्षा कर्मी सहित अन्य अपहृतों को मुक्त न कराये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, मुन्नासिंह, सदस्य, गुना जिले के नईसराय थानान्तर्गत एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सुश्री कौशल्या गोटिया, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम खोडियार में अवैध रूप से मिनिरल वाटर कंपनी संचालित होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(9) सर्वश्री बाबूलाल गौर, पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में प्रतिबंधित यूरिया का अवैध विक्रय होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट एवं मंडला जिले में बीज प्रक्रिया केन्द्रों को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले की ग्राम पंचायत किशनपुर एवं नीनिया के अन्तर्गत अवैध उत्खनन से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जावे."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम त्योधरी स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने; एवं

(2) श्री रणवीर सिंह रावत, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम साबोली के पास बरुआ नाले पर रपटा बनाये जाने,;तथा

(ख) ग्राम चकरामपुर में हाई स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश ऊर्जा विधेयक, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक वानिकी विधेयक, 2001 (क्रमांक 2 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

1 घन्टा 30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री तेजसिंह सेंधव, मुन्नासिंह भदौरिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर से उत्पन्न संकट एवं सूखे की समस्या के निदान के लिये प्रदेश की समस्त नदियों एवं नालो का व्यापक सर्वे कर उन पर उपयुक्त स्थानों पर स्टाप डेम बनाये जायें."

(2) श्री रसाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश में परमाणु बिजलीघरो की स्थापना की जाय."

(3) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डों में पानी, सड़क, नाली, सीवेज, निर्माण व अन्य विकास कार्य निश्चित समय सीमा में करने हेतु वार्ड से वसूल हुई सम्पत्ति कर की 25 प्रतिशत राशि संबंधित वार्ड के विकास कार्य पर प्रति वर्ष व्यय की जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 2001